

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा म

निदेशक,
Paras HFC Hospital,
Sector-3, Dhurva, Near JSC A Stadium,
Opp Prabhat Tara School,
Ranchi, Jharkhand - 834004

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की, दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्राक- 1786(14), दिनांक- 24.06.2025 द्वारा चेक संख्या- 196927, दिनांक- 01.07.2025 द्वारा आपके संस्थान के नाम से भेज गया था।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शाहनवाज अख्तर पिता- मो0 शाजिद हुसैन ग्राम- जीवा बीघा पो0- कटैया थाना- अम्वा जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000 / -	

- तदोपरांत आपसे प्राप्त पत्र दिनांकित 12.07.2025 के माध्यम से उक्त चेक वापस करते हुए PARAS HEALTHCARE (RANCHI) PVT LTD के नाम से चेक निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। साथ में आपके द्वारा Hospital Bank Information / NEFT Information Sheet सलग्न किया गया है।
- उपयुक्त के आलोक में स्वीकृत्यादेश पत्राक- 1786(14), दिनांक- 24.06.2025 को निरस्त करते हुए अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, वेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176966 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200029528266 खाता धारक का नाम- PARAS HEALTHCARE (RANCHI) PVT LTD, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- VATIKA ATRIUM, A-BLOCK GOLF COURSE ROAD SECTOR-53 GURGAON- 122002, HARYANA, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000572 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सापरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार रिफ़)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2220(14)

पटना, दिनांक 07/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176766 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख